

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 425 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री नवीन केरकेट्टा
श्रीमती कृपा हंस

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

18.03.20

आदेश

आवेदक श्री नवीन केरकेट्टा पिता स्व0 नोतरोत केरकेट्टा ग्राम-पाण्डू पोस्ट-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने श्रीमती कृपा हंस पति मसीह दास हंस ग्राम-राजा कुंजला, पोस्ट-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
पाण्डू	248	49	1796	0.23½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0420431972 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 178 दिनांक 16.03.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0- 398 दिनांक 17.06.2005 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम डीम्बु पाहन वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार नवीन केरकेट्टा के नाम भूमि का रकबा 5.00 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 14228.00(चौदह हजार दो सौ अठाईस)रु0 प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.76½ एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री नवीन केरकेट्टा पिता स्व0 नोतरोत केरकेट्टा को श्रीमती कृपा हंस पति मसीह दास हंस के साथ ग्राम पाण्डू के खाता सं0 49 खेसरा संख्या 1796 का कुल रकबा 0.23½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 14228.00(चौदह हजार दो सौ अठाईस)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।